प्रेस नोट

दिनांक 16.02.2025

थाना मझगवां पुलिस द्वारा लूट के 02 वांछित अभियुक्त, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.02.2025 को थाना मझगवां पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2025 धारा 309(6)/ 317(2) बी0एन0एस0 व 9(1)A(1)/25(2) आर्म एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.प्रिन्स पुत्र जयपाल लोधी 2.दीपक कुमार पुत्र परमेश्वरी दयाल को गोहानी पुलिया से करीब 20 मीटर दूरी पर बरेल की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर समय करीब 03.22 AM बजे गिरफ्तार कर दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 10.02.2025 को ग्राम प्रधान शत्रुघ्न सिंह निवासी टोलारावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, थाना मझगवां उपस्थित जाकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया कि दिनांक 09.02.2025 को समय रात्रि लगभग 20.40 बजे, चंदारानी गेस्ट हाउस से पशु चिकित्सक डॉक्टर रामसिंह के साथ मोटरसाइकिल से घर टोलारावत जा रहे थे कि रास्ते में टोलारावत मार्ग पर सिद्धाबाबा स्थान के पास मोटरसाइकिलों से कुछ बदमाश असलहों से लैस होकर आए तथा उन दोनों के पास से कुछ पैसे, मोटरसाइकिल की चाभी छीन लिए तथा मारपीट करते हुए मौके से भाग गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मझगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-14/2025 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता अभियुक्तगण

1. प्रिन्स पुत्र जयपाल लोधी (उम्र करीब 20 वर्ष) निवासी ग्राम रिगवारा कलां थाना जरिया जनपद हमीरपुर ।
2. दीपक कुमार पुत्र परमेश्वरी दयाल (उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी ग्राम अमूद थाना जरिया जनपद हमीरपुर ।

बरामदगी का विवरण: -

1) 01 अदद तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
2) 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3) 1040/- रुपये
4) 01 अदद मोबाइल मोटरोला
5) 01 अदद मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त) व
6) मु0अ0सं0 21/2025 थाना चरखारी जनपद महोबा धारा 309(4)/352/125A BNS से सम्बन्धित 630/- रुपये मालमशरूका

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1.व0उ0नि0 शिव सहाय सरोज

2.उ0नि0 अनुज कुमार सिसौदिया

3.उ0नि0 अमोल सिंह

4. उ0नि0 रवि मेहता

5.हे0का0 महेन्द्र सिंह

6.का0 सौरभ कुमार